-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 08.08.2024 को मेडिकर स्टोर पर दवा लेने गये व्यक्ति की बाइक की डिग्गी से 03 लाख रुपये किए गए थे चोरी। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 02 लाख रुपये बरामद। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई थी कैद।**
- **अभियुक्त पर म0प्र0, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में पंजीकृत हैं दर्जन भर मामले। राजगढ़(म0प्र0) के कडिया सांची, गुड़खेरी, गोरखेड़ी तथा आस-पास के गावों लोग समूह बनाकर अलग-अलग राज्यों में चोरी तथा टप्पेबाजी की घटनाओं को देते हैं अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.08.2024 को मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गये व्यक्ति की मोटरसाइकिल की डिग्गी से 03 लाख रुपये की चोरी करने के मामले में वांछित **25 हजार रुपये के इनामिया** अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गौरततलब हो कि दिनांक 08.08.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत कैलाशपुरी के रहने वाले अरविन्द कुमार भारतीय स्टेट बैंक की सिटी ब्रांच बांदा से 03 लाख रुपये निकाल कर अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर पेरी मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे इसी दौरान अज्ञात चोरों ने बाइक की डिग्गी में रखे 03 लाख रुपये चोरी कर लिए। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग **मु0अ0सं0 352/2024 अन्तर्गत धारा 288/352/351(2)/109 BNS** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर ज्ञात हुआ कि घटना में प्रथम दृष्टया 02 अभियुक्त शामिल थे। अभियुक्तों द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी जब श्री अरविन्द कुमार सिटी ब्रांच से पैसा निकालने गये थे उस समय भी गिरफ्तार अभियुक्त बैंक में मौजूद था जब वे वहां से निकलने तो अभियुक्त भी पीछे-पीछे गया तथा उनके मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के दौरान भी अभियुक्त उनके सामने खड़ा था ताकि उन्हे मोटरसाइकिल दिखाई न दे इसी दौरान उसके साथी अभियुक्त ने डिग्गी में रखे रुपये चोरी कर लिए। सीसीटीवी कैमरे में दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे। अभियुक्तों की पहचान एवं की गिरफ्तारी के लिए लिए पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा कई टीमों को लगाया गया था। एक अभियुक्त की पहचान **अनिकेत उर्फ रोहित पुत्र शोभा सिसोदिया नि0 कडिया थाना बोझ़ जनपद राजगढ़ (म0प्र0)** के रुप में की गई। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 04.10.2024 को देर शाम थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त को राजगढ़ के होटल श्रीराम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया की जनपद राजगढ़ के कडिया सांची, गुड़खेरी, गोरखेरी तथा आसपास के गांव के लोग अलग-अलग जनपदों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा शादी विवाह में गहनों की टप्पेबाजी करते हैं। पूछताछ में घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त की पहचान का खुलासा हुआ जिसकी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पर म0प्र0, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में दर्जन भर मामले पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिकेत उर्फ रोहित पुत्र शोभा उर्फ बन्टी सिसोदिया नि0 कडिया थाना बोझ जनपद राजगढ़ (म0प्र0)

बरामदगी-

- घटना में चोरी किए 02 लाख रुपये ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 638/2024 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली नगर बांदा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिकेत उर्फ रोहित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 630/14 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम थाना ओमति जबलपुर मध्य प्रदेश
2. मु0अ0सं0 105/17 धारा 380/457 भादवि थाना मंगलवारा जनपद भोपाल म0प्र0
3. मु0अ0सं0 481/17 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली जनपद विदिशा म0प्र0
4. मु0अ0सं0 54/17 धारा 379 भादवि थाना बिलखिरिया जनपद भोपाल म0प्र0
5. मु0अ0सं0 328/17 धारा 380 भादवि थाना जौरा जनपद मुरैना म0प्र0
6. मु0अ0सं0 135/17 धारा 379 भादवि थाना कमला नगर जनपद भोपाल म0प्र0
7. मु0अ0सं0 68/22 धारा 379 भादवि थाना जेतारठा जनपद पाली राजस्थान
8. मु0अ0सं0 148/19 धारा 379 भादवि थाना सोजत रोज जनपद पाली, राजस्थान
9. मु0अ0सं0 34/23 धारा 451 भादवि थाना महागंज जनपद अजमेर, राजस्थान
10. मु0अ0सं0 392/23 धारा 379 भादवि थाना सीआईए जनपद रेवाड़ी, हरियाणा
11. मु0अ0सं0 638/2024 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली नगर बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी बलखण्डीनाका श्री विवेक कुमार त्रिपाठी
2. कां0 अतुल राठौर
3. कां0 रुपेन्द्र
4. कां0 विमल सिंह